न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस.)

प्रकरण सं.–01/2015

पंजियन दि. 02.07.2015
निर्णय दि. 20.12.2017

सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगरपुर

––प्रार्थी

बनाम

हकरा पिता हलिया खराडी निवासी ऊंटिया पटवार मण्डल गैंजी, तहसील डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

––विपक्षी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत्

उपस्थित :– 1. पेरोकार सरकार–प्रार्थी की ओर से
2. श्री लक्ष्मण सिंह बियोला–अभिभाषक विपक्षी की ओर से

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार डूंगरपुर की ओर से राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत् प्रार्थना पत्र न्यायालय हांजा में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि मौजा ऊंटिया की बिलानाम आराजी संख्या 72 का रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा एवं 74 का रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा विपक्षी के नाम आवंटित हुई थी, जिसकी नवीन आराजी संख्या 862/72–74 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा कायम हुई। उक्त आराजी के मूल खसरा नम्बर 74 में से 12 बिस्वा भूमि विपक्षी के पुत्र श्री धनेश्वर के नाम बक्षीस होकर आराजी खाते में कम हुई है तथा वर्तमान में खसरा संख्या 862/72–74 में कुल 6 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है। विपक्षी से आवंटित मूल आराजी नम्बर 72 के रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा में से रकबा 2 बीघा भूमि रास्ते के रूप में काम आ रही है जिससे उक्त 2 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस सुनवाई हेतु तलब किया गया। विपक्षी की ओर से अभिभाषक नियुक्त हुए एवं जवाब मय मुताबिक सूची के दस्तावेज पेश किये गये। विपक्षी के अभिभाषक के निवेदन पर मौके पर रास्ते में प्रभावित होने वाली वास्तविक भूमि बाबत् रिपोर्ट तलब की गई, जो प्राप्त होकर पत्रावली में संलग्न है।

उभय पक्षों की बहस समायत की गई। प्रार्थी की ओर से उपस्थिति पेरोकार सरकार का कथन है कि विपक्षी को आवंटित मूल आराजी संख्या 72 के कुल रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा में से रकबा 2 बीघा भूमि पर आवंटि का कब्जा काश्त नही होकर यह रकबा मौके पर आम रास्ते के रूप में काम में आ रहा है तथा इस रास्ते की भूमि का उपयोग आम जनता आवागमन हेतु करती है एवं इसी रास्ते से

Scanned by CamScanner

होकर मवेशी पास में स्थित तालाब पर पानी पीने जाते है। इस प्रकार विपक्षी के नाम आवंटित मूल आराजी संख्या 72 का रकबा 2 बीघा भूमि मौके पर वास्तविक रूपेण आम आवागमन के सार्वजनिक उपभोग में आ रही है तथा इस आवंटन को लेकर मौके पर विवाद एवं आम जनशांती भंग होती है जिससे जनहित में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए रकबा 2 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

विपक्षी के योग्य अभिभाषक का कथन है कि विपक्षी को आवंटन विधिवत हुआ है तथा आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। आवंटित भूमि बाबत् प्राप्त मौका रिपोर्ट के क्रम में विपक्षी के अभिभाषक का कथन है कि आराजी सं. 72 की वर्णित रास्ते की भूमि मौके पर खाली हो आम आवागमन में आपत्ति नही है।

उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि विपक्षी को मौजा ऊटिया के आराजी संख्या 72 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा एवं 74 का रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा आवंटित हुआ था। आराजी संख्या 72के कुल रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा में से रकबा 2 बीघा भूमि पर विपक्षी का काश्त कब्जा नही होकर उक्त भूमि आम रास्ते के रूप में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही है। पत्रावली में संलग्न पत्रादी पर्चा मौका, मौका रिपोर्ट, नक्षा ट्रेस समझौता पत्र की छाया प्रति इत्यादी के अवलोकन से यह स्पष्ट रूपेण प्रमाणित है कि मौजा उंटिया की आराजी संख्या 72 के कुल रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा में से रकबा 2 बीघा भूमि पर विपक्षी का मौके पर आज तक काश्त कब्जा नही होकर यह भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् आम रास्ता की भूमि होकर ग्रामीणों के आवागमन तथा पास में स्थित तालाब में मवेशीयों के पानी पीने के आवाजाही का मार्ग है तथा यह भूमि विपक्षी के खाते में बनी रहने से आवंटि एवं ग्रामीणों के मध्य विवाद हो आम जन शांती भंग होने का भी अंदेशा बना रहेगा।

अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत् स्वीकार किया जाता है तथा मौजा ऊंटिया की आराजी संख्या 72 में आवंटित रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा भूमि में से मौके पर आम रास्ते की रूप में उपयोग में आ रही भूमि रकबा 2 बीघाा (जिसे नखा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हीत किया गया है) का आवंटन निरस्त किया जाता है। निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार डूंगरपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2017 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner